

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या: सेवायें-3(4)/ 208 /2015-16 दिनांक 29 जुलाई 2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.आ.-सा.में.) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या: 875/XXVIII(7) न0प्रति0/2011 दिनांक 08 मार्च 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 963/XXX(2)/2011 दिनांक 25 जुलाई 2011 तथा उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं: 599(1)/XXIV-2/ 2012-6(3)/2012 दिनांक 09 अक्टूबर 2012 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वैयक्तिक सहायक पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर (भर्ती वर्ष 2014-15 की रिक्तियों के सापेक्ष) निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों (वेतन बैंड-5200-20200 ग्रेड वेतन-2800) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/परिषद में पदोन्नत करते हुए वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (वेतनकम 9300-34800 ग्रेड वेतन-4200) में पदस्थापित किया जाता है। यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	वैयक्तिक सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय	नवीन तैनाती/पदोन्नति स्थल	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री गोपाल दत्त पाण्डे	का.जि.शि.अ.मा.शि.नैनीताल	उ.वि.शि.प. रामनगर, नैनीताल	रिक्त पद के प्रति
2	श्री पुरुषोत्तम प्रसाद	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड	रिक्त पद के प्रति

- 1- इस सम्बन्ध में कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
- 2- पदोन्नति पर न जाने वाले कार्मिकों की पदोन्नति पर अगले 03 वर्ष तक कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 3- जो कार्मिक अपने पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे वे लिखित रूप में सम्बन्धित कार्यालय/संस्थाध्यक्ष को अवगत करायेंगे एवं सम्बन्धित अधिकारी तदनुसार उनकी सेवा पुस्तिका में अंकना करना सुनिश्चित करेंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासकीय कार्यालय, देहरादून

पृष्ठांकन संख्या: सेवायें-3(4)/ 8270-8304 /2015-16 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 2- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
- 3- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
- 7- अपर निदेशक (प्रा0शि0/मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 8- सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
- 9- अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
- 11- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0/मा0शि0) उत्तराखण्ड।
- 12- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नत वैयक्तिक सहायक के कार्यभार मुक्त/ ग्रहण आदेश लौटती डाक से तत्काल निदेशालय एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। पदोन्नति आदेश की अंकना सम्बन्धित कर्मियों के सेवा पुस्तिका में अवश्य की जाय।
- 13- सम्बन्धित वैयक्तिक सहायक को इस आशय से प्रेषित कि पदोन्नति आदेश निर्गत होने की तिथि से दिन के भीतर अपने नवीन पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कर्मियों द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अपने तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आगामी 03 वर्ष तक सम्बन्धित की पुनः पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का संशोधन/समयवृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी न ही किसी प्रकार के प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।
- 14- प्रभारी एम.आई.एस. विद्यालयी शिक्षा निदेशालय को इस आशय से कि उक्त सूची विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 15- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(आर0एस0 रीवत)

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

(अधी शशी प्रकाश)

कार्यपालक

उत्तराखण्ड शासकीय कार्यालय